डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाबता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) चौहटन मुकाम चौहटन

व इजलास ***श्री भागीरथ राम* II, *आर.ए.एस.***

अनवान

वादीगण – 1.ठाकराराम 2.मगनाराम पि.लाखाराम 3.मेहाराम 4.डालूराम 5.भीयाराम 6.सम्भुराम 7.आदूराम पि.शेराराम, जाति जाट, निवासी पावड़ों का तला

बनाम

प्रतिवादीगण – 1.खेताराम 2.गुलाराम 3.रामाराम 4.खीयाराम पि.गोरधनराम 5.अचलाराम पुत्र धनाराम, जाति जाट, निवासी पावड़ों का तला, 6.लासी बेवा पूनमाराम 7.मदन 8.श्रीराम उर्फ रामूराम 9.हीराराम पि. नन्दराम 10.शान्ति पुत्री नन्दराम, 11.चूनीदेवी पत्नि नन्दराम, जाति जाट, निवासी श्रीरामवाला 12.शाखा प्रबन्धक आर.एम.जी.बी.धनाऊ, 13.तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण – वादीगण वकील – **श्री जगदीश पोटलिया**
प्रतिवादीगण वकील – **श्री प्रवीण चौधरी (प्रतिवादी सं. 5 से 11)**

वाद बाबत 88,188 RT Act.

मुकदमा नं. 45/2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू.ब.रू. **न्यायालय** बहाजरी **श्री जगदीश पोटलिया** एड. मिनजानिब मुदाई व **श्री प्रवीण चौधरी** एड . मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर **मौजा मंदिरवाला, पटवार क्षेत्र श्रीरामवाला में खसरा सं. 124/29 रकबा 85.10 बीघा, खसरा सं. 126/74 रकबा 58.04 बीघा, कुल रकबा 143.14 बीघा का आया हुआ है। उक्त विवादित भूमि में वादीगण को 1815/2875 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 5 से 11 को 303/2875 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है।** लगातार शेष पृष्ट पर....................... ... बीज .... मबलिग .... बाबत .... पर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज ही तारीख से तारीख व सूलप्रार्थी तक .. .. को अदा करे।

वसग्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 24.11.2022 को जारी की गई।

दस्तखत..................................
ओहदा ....
सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रेक) चौहटन

मुहर

मुदई	रूपया	पै.	[illegible]	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदाया स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प सबूत पइमनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			[illegible]		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा दर दो फरीकेन का चाहे बिकरी के जरिये दिलावे .... करना।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2023.02.22 17:43:53 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 45/2020

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथ राम ॥, आर.ए.एस

अनवान

वादीगण – 1.ठाकराराम 2.मगनाराम पि.लाखाराम 3.मेहाराम 4.डालूराम 5.भीयाराम 6.सम्भुराम 7.आदूराम पि.शेराराम, जाति जाट, निवासी पावड़ों का तला

बनाम

प्रतिवादीगण – 1.खेताराम 2.गुलाराम 3.रामाराम 4.खीयाराम पि.गोरधनराम 5.अचलाराम पुत्र धनाराम, जाति जाट, निवासी पावड़ों का तला, 6.लासी बेवा पूनमाराम 7.मदन 8.श्रीराम उर्फ रामूराम 9.हीराराम पि. नन्दराम 10.शान्ति पुत्री नन्दराम, 11.चूनीदेवी पत्नि नन्दराम, जाति जाट, निवासी श्रीरामवाला 12.शाखा प्रबन्धक आर.एम.जी.बी.धनाऊ, 13.तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण – वादीगण वकील – **श्री जगदीश पोटलिया**

प्रतिवादीगण वकील – **श्री प्रवीण चौधरी (प्रतिवादी सं. 5 से 11)**

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) सत्यमेव जयते चौहटन

अन्तर्गत धारा 88,188 RT Act. RT Act.

निर्णय

दिनांक :– 24.11.2022

वादीगण के वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 11 हिन्दू विधि से शासित है तथा स्व.लाखा, शेरा, गोरधन व धना के वारिशान है। स्व.लाखा, शेरा, गोरधन व धना से विरासत में मौजा मन्दिरवाला में खसरा सं. 29 रकबा 106.08 बीघा एवं खसरा सं. 74 रकबा 74.14 बीघा, कुल रकबा 181.04 बीघा भूमि प्राप्त हुई।

उक्त आराजी के खेत मौजा मन्दिरवाला में खसरा सं. 29 रकबा 106.08 बीघा एवं खसरा सं. 74 रकबा 74.14 बीघा, कुल रकबा 181.04 बीघा में वक्त पैमाईश स्व.लाखा, शेरा पुत्र हेमराज का 1/2 हिस्सा व गोरधन, सुरा पुत्र माना का 5/12 हिस्सा व धना पुत्र चैना का 1/12 हिस्सा था। बाद में उनके वारिसों नाम दर्ज हुई। सुरा के वारिश लाधु ने अपना 5/12 का आधा हिस्सा मगराज पुत्र तगामल को बैचान कर दिया उक्त हिस्सा बैचान होने पर हल्का पटवारी व राजस्व कर्मचारियों ने जरिये नामान्तरकरण सं. 174 उक्त भूमि को शेष भूमि से अलग कर दिया शेष भूमि में खातेदारों का हिस्सा सही दर्ज नहीं कर दिया गया जो गलत दर्ज किया। इस आराजी मूल रकबे में से सुरा के वारिश लाधु द्वारा अपना हिस्सा बेचान करने पर और बेचान सुदा हिस्सा अलग करने पर शेष भूमि खसरा सं. 124/29 रकबा 85.10 बीघा एवं खसरा सं. 126/74 रकबा 58.04 बीघा, कुल रकबा 143.14 बीघा रही जिसमें वादीगण का 1815/2875 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 से 4 का 757/2875 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 5 से 11 का 303/2875 हिस्सा है लेकिन राजस्व कर्मचारियों की भूल से वादग्रस्त आराजी में पूर्व का हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2023.02.22 17:43:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रेक)चौहटन

वादीगण का 1/2 व प्रतिवादी सं 1 से 4 का 5/12 व प्रतवादी सं. 5 से 11 का 1/12 हिस्सा दर्ज है, जो गलत दर्ज है जिसे वादीगण सही करवाने का हकदार है और अपने कब्जें काश्त अनुसार बंटवाड़ा करवाने का अधिकारी है । इसलिये वादीगण आराजी में अपना 1815/2875 हिस्सा घोषित करवाने तथा बाद घोषणा अपने कब्जे काश्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा कर पृथक करवाना चाहते है जिसके लिए वादीगण ने वाद पेश कर इस्तदुआ चाही है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादी सं. 5 से 11 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रवीण चौधरी ने वकालतनामा पेश कर वाद का जवाब मय काउन्टर क्लेम पेश कर वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए निवेदन किया कि वादीगण के साथ साथ प्रतिवादी सं. 5 से 11 का 303/2875 हिस्सा खातेदारी में घोषित करते हुए "बाई मीटस एण्ड बाउण्ड" बंटवाड़े का विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। शेष प्रतिवादी सं. 1 से 4 व 12 के जरिये रजि.एडी. सम्मन तलब किये गये, लेकिन उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वादीगण वकील की ओर से वादी साक्ष्य में Pw1 वादी सं. 01 ठाकराराम पुत्र लाखाराम का शपथ पत्र पेश किया गया तथा लिखित दस्तावेजों की सूची में Exp1 जमाबन्दी, Exp2 नक्शा लट्ठा, Exp3 खतोनी बन्दोबस्त, Exp4 नामान्तरकरण सं. 174, Exp5 नामान्तरकरण सं. 185 न्यायालय में Exhibit करवाये। वादीगण वकील की ओर से प्रार्थना पत्र वाद में धारा 53 समायोजित करने बाबत् पेश किया गया। जिसे स्वीकार किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। जिसके आधार वादीगण का वाद एवं प्रतिवादी सं. 5 से 11 का काउन्टर क्लेम प्रारम्भिक रूप से स्वीकार मौजा मंदिरवाला, पटवार क्षेत्र श्रीरामवाला में खसरा सं. 124/29 रकबा 85.10 बीघा, खसरा सं. 126/74 रकबा 58.04 बीघा, में वादीगण को 1815/2875 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 5 से 11 को 303/2875 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाकर मौके पर कब्जा काश्त एवं हिस्सानुसार "बाई मीटस एण्ड बाउण्ड" विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु तहसीलदार धनाऊ को लिखा गया।

वादीगण वकील की ओर से प्रार्थना पत्र वास्ते विड्रो करने धारा 53 का पेश किया गया। जिस पर प्रतिवादी वकील को सुना गया। प्रतिवादी वकील वादीगण वकील का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निवेदन किया कि प्रतिवादी सं. 5 से 11 के काउन्टर क्लेम में भी धारा 53 विड्रो की जाकर वादीगण वकील का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो उन्हें कोई आपति नहीं है। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर धारा 53 विड्रो की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2023.02.22 17:43:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) चौहटन

सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रेक)चौहटन

पत्रावली पेश हुई। उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वादीनी वकील ने बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया मौजा मंदिरवाला, पटवार क्षेत्र श्रीरामवाला में खसरा सं. 124/29 रकबा 85.10 बीघा, खसरा सं. 126/74 रकबा 58.04 बीघा, में वादीगण को 1815/2875 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जावे।

प्रतिवादी सं. 5 से 11 के अधिवक्ता ने बहस में वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए निवेदन किया कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में वादीगण के साथ साथ प्रतिवादी सं. 5 से 11 को 303/2875 हिस्सा का खातेदारी में घोषित किया जावे

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली पर सलंग्न दस्तोवजों का अवलोकन किया गया । जिससे स्पष्ट होता है कि वादीगण का वाद स्वीकार करने योग्य है। अतः न्यायहित में वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा मंदिरवाला, पटवार क्षेत्र श्रीरामवाला में खसरा सं. 124/29 रकबा 85.10 बीघा, खसरा सं. 126/74 रकबा 58.04 बीघा, कुल रकबा 143.14 बीघा का आया हुआ है। उक्त विवादित भूमि में वादीगण को 1815/2875 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 5 से 11 को 303/2875 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है।

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार धनाऊ को लिखा जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.11.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भागीरथ राम ॥)
सहायक कलक्टर
(फास्ट–ट्रेक) चौहटन
सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रेक)चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2023.02.22 17:43:53 IST
Reason: SelfAttested